



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 362 राँची, मंगलवार, 3 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
24 मई, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 मई, 2016

संख्या-एल0जी0-08/2016-93/लेज० झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 11 मई, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 2016

(झारखंड अधिनियम संख्या-14, 2016)

संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थलों तथा अवशेषों से भिन्न झारखण्ड-राज्य स्थित प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के परिरक्षण, पुरातत्व खुदाई के विनियमन और पुरावशेषों के सुरक्षण का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

उद्देशिका:- भारत गणराज्य के सरसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

1. यह अधिनियम झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 2016 कहलायेगा।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
3. यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएँ:- जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में:-

(क) प्राचीन स्मारक से तात्पर्य है ऐसी कोई संरचना, निर्माण या स्मारक अथवा कोई स्तूप या शव गाड़ने या जलाने की जगह, या कोई गुफा, प्रस्तर-प्रतिमा, शिला-लेख या एकाशम, जिसका ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व हो और जो कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान हो, और इसके अन्तर्गत निम्न भी हैं:-

- (i) उसका अवशेष,
- (ii) उसका स्थल,
- (iii) ऐसे स्थल से सटी भूमि का ऐसा भाग, जो उस स्थल के परिक्षण, सुरक्षण संधारण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो, और
- (iv) वहाँ तक पहुँचने उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण और मरम्मत के साधन।

(ख) पुरावशेष के अन्तर्गत निम्न हैं:-

- (i) कोई मुद्रा, मूर्ति, चित्रकारी, पुरालेख या अन्य कलाकृति अथवा शिल्प।
- (ii) किसी भवन या गुफा से अलग की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज,
- (iii) अतीतयुगीन विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, नैतिकता या राजनीति निदर्शक कोई वस्तु, पदार्थ या चीज
- (iv) ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज, और
- (v) कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ या चीज जिसे राज्य सरकार इतिहास या पुरातत्व से संबंध होने के कारण, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुरावशेष घोषित करें जो कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान हो, और
- (vi) कोई पाण्डुलिपि, अभिलेख अथवा अन्य प्रलेख जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक अथवा सौंदर्यबोधी महत्व हो तथा जो कम से कम पचहत्तर वर्षों से विद्यमान हो।

(ग) 'कलानिधि' से तात्पर्य है कोई मानवीय कलाकृति जो पुरावशेष न हो, और जिसे राज्य सरकार ऐतिहासिक एवं सौंदर्यबोधी महत्व रहने के कारण सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कलानिधि घोषित करें, बशर्ते ऐसी कलाकृति के संबंध में उसके सर्जक कलाकार के जीवनकाल में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जायेगी।

(घ) "पुरातत्व पदाधिकारी" से तात्पर्य है राज्य सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का कोई पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित पंक्ति से नीचे का न हो।

- (ड.) "पुरातत्व स्थल और अवशेष" से तात्पर्य है ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के खंडहर या प्रागवशेष हो या जिसमें उनके होने का विश्वास युक्तियुक्त रूप से किया जाता हो, और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हो और इसके अन्तर्गत निम्न भी है:-
- (i) उस क्षेत्र से सटी भूमि का ऐसा भाग जो घेरने या ढकने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, और
- (ii) उस क्षेत्र तक पहुँचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन।
- (च) 'निदेशक' से तात्पर्य है राज्य सरकार का पुरातत्व और संग्रहालय निदेशक तथा इसके अन्तर्गत निदेशक का कर्तव्य संपादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी भी है।
- (छ) व्याकरण संबंधी परिवर्तनों और सजातीय पदों सहित 'अनुरक्षित करना' के अंतर्गत किसी सुरक्षित स्मारक को घेरना, ढकना, मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार और मार्जन, स्थल के अनुरूप समुचित वातावरण निर्माण तथा ऐसा कोई अन्य कार्य करना भी है जो किसी सुरक्षित स्मारक के परिरक्षण या वहाँ तक पहुँचने की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।
- (ज) 'स्वामी' के अन्तर्गत है:-
- (i) ऐसा संयुक्त स्वामी जिसे अपनी ओर से और अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्ति दी गई हो और ऐसे किसी स्वामी का हक उत्तराधिकारी, और
- (ii) प्रबंध की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे प्रबंधक या न्यासी का पदीय उत्तराधिकारी,
- (झ) 'विहित' से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित।
- (ञ) 'सुरक्षित क्षेत्र' से तात्पर्य है कोई ऐसा पुरातत्व स्थल और अवशेष जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाय।
- (ट) 'सुरक्षित स्मारक' से तात्पर्य है ऐसा प्राचीन स्मारक जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सुरक्षित स्मारक घोषित किया जाय, और
- (ठ) 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है झारखण्ड की राज्य सरकार।

प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व - स्थलों तथा अवशेषों का संरक्षण:-

3. प्राचीन स्मारकों आदि को सुरक्षित स्मारक और क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति:-

- (1) जब राज्य सरकार की राय हो कि किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष को इस अधिनियम के अधीन सुरक्षित करने की जरूरत है, तो वह सरकारी जगट में अधिसूचना द्वारा उस प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष को यथास्थिति सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के अपने अभिप्राय का दो महीनों की नोटिस देगी और ऐसी हर अधिसूचना की एक प्रति, यथास्थिति उस स्मारक या उस पुरातत्व स्थल और अवशेष के निकट किसी ध्यानकर्षी स्थान में चिपका दी जाएगी।
- (2) ऐसे किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व-स्थल और अवशेष से हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना जारी किए जाने के दो महीनों के भीतर, उस स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष के सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा।

- (3) उक्त दो महीनों की अवधि समाप्त होने पर, राज्य सरकार, यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उस पर विचार करने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति उस प्राचीन स्मारक या पुरातत्व-स्थल और अवशेष को सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी।
- (4) उप धारा (3) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, जब तक उसे वापस न ले ली जाये, इस बात का निश्चयक प्रमाण होगी कि उससे संबंधित प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र है।

सुरक्षित स्मारक

4. किसी सुरक्षित स्मारक के अधिकार का अर्जन:-

- (1) निदेशक, राज्य सरकार की मंजूरी से, किसी सुरक्षित स्मारक को खरद कर या पट्टे पर ले सकेगा अथवा उसे दान या परिचय के रूप में स्वीकार कर सकेगा।
- (2) जब किसी सुरक्षित स्मारक का कोई स्वामी न हो, तो निदेशक सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उस स्मारक का अभिभावकत्व ग्रहण कर सकेगा।
- (3) किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी, लिखित लिखत के जरिये, निदेशक को स्मारक का अभिभावक बना सकेगा और निदेशक राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसा अभिभावकत्व स्वीकार कर सकेगा।
- (4) जब निदेशक उप धारा (3) के अधीन स्मारक का अभिभावकत्व स्वीकार कर लेगा तब स्वामी को इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबंधित स्थिति को छोड़कर स्मारक में वही सम्पदा स्वत्व अधिकार, हक और हित होगा, मानो निदेशक उसका अभिभावक नहीं बनाया गया हो, और धारा 5 के अधीन निष्पादित लिखित लिखत कर लागू होगा।
- (5) इस धारा की किसी बात से परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किसी सुरक्षित स्मारक के उपयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. करार द्वारा सुरक्षित स्मारक का परिरक्षण:-

- (1) राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश मिलने पर निदेशक किसी सुरक्षित स्मारक के स्वामी से प्रस्ताव करेगा कि वह स्मारक के अनुरक्षण के लिए किसी उल्लिखित अवधि के भीतर राज्य सरकार के साथ करार करें।
- (2) इस धारा के अधीन करार में निम्न किसी या सभी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगी:-
 - क) स्मारक का अनुरक्षण
 - ख) स्मारक की अभिरक्षा और उसकी देख-रेख के लिये निष्पादित किसी व्यक्ति के कर्तव्य
 - ग) स्वामी के निम्न अधिकारों पर प्रतिबंध:-
 - (i) किसी प्रयोजन से स्मारक का उपयोग
 - (ii) स्मारक में प्रवेश या उसा निरीक्षण करने के लिये कोई शुल्क लेना,
 - (ii) स्मारक को नष्ट करना, हटाना, उसमें परिवर्तन करना या उसे विरूपित करना, अथवा,
 - (iv) स्मारक स्थल पर या उसके समीप निर्माण कार्य करना।

- (घ) जनसाधारण या उसके किसी वर्ग को या पुरातत्व-पदाधिकारियों को अथवा स्वामी या किसी पुरातत्व पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को या राज्य सरकार द्वारा स्मारक के निरीक्षण या अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी या प्राधिकारी को स्मारक तक पहुँचाने की सुविधायें देना।
- (ङ.) यदि स्वामी वह भूमि, जिस पर स्मारक अवस्थित हो, या उससे सटी कोई भूमि बेचना चाहे तो उस दशा में राज्य सरकार को नोटिस देना और उस भूमि या उसके किसी खास भाग को बाजार मूल्य पर खरीदने के अधिकार को सरकार के लिए प्रारक्षित करना।
- (च) स्मारक के अनुरक्षण के सिलसिले में स्वामी या सरकार द्वारा किये गये किसी खर्चका भुगतान।
- (छ) यदि राज्य सरकार ने स्मारक के अनुरक्षा के सिलेसिले में कोई खर्च किया हो तो स्मारक के स्वत्व संबंधी या अन्य अधिकार का राज्य सरकार में निहित होगा।
- (ज) करार से उत्पन्न किसी विवाद का निर्णय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति, और
- (झ) स्मारक के अनुरक्षण से संबद्ध ऐसा कोई विषय जो स्वामी और राज्य सरकार के बीच करार का उचित विषय हो।

- (3) राज्य सरकार या स्वामी इस धारा के अधीन हुए करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के बाद, किसी भी समय अन्य पक्ष को छः महीनों की लिखित नोटिस देकर करार समाप्त कर सकेगा। परन्तु यदि करार स्वामी द्वारा समाप्त किया जाय तो वह करार को समाप्ति के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में या यदि करार इससे कम अवधि तक प्रवृत्त रहा है तो करार प्रवृत्त रहे की अवधि में स्मारक के अनुरक्षण पर राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी खर्च का भुगतान राज्य सरकार को करेगा।
- (4) इस धारा के अधीन हुआ कोई करार उस व्यक्ति को भी बंधनकारी होगा तो इस करार से संबद्ध स्मारक का स्वामी होने का दावा ऐसे पक्ष से, इसके जरिये या अधीन करे जिस (पक्ष) के द्वारा या जिसी ओर से करार निष्पादित किया गया हो।

6. यदि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी अशक्त हो या वह स्मारक ग्राम-संपत्ति हो, तो उस स्मारक के संबंध में धारा 5 के अधीन की स्वामी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति:-

- (1) यदि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी नाबालिग होने या किसी समय अशक्तता के कारण स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी ओर से काम करने के लिए विधित, सक्षम व्यक्ति धारा 5 द्वारा स्वामी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
- (2) किसी ऐसे सुरक्षित स्मारक की दशा में जो ग्राम संपत्ति हो, मुखिया या ऐसी संपत्ति के प्रबंध को शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अन्य ग्राम पदाधिकारी धारा 5 द्वारा स्वामी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
- (3) इस धारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति से भिन्न धर्म का हो जिसकी ओर से वह काम कर रहा हो, किसी ऐसी सुरक्षित स्मारक के संबंध में कोई करार करने निष्पादित करने के लिए शक्ति प्रदत्त नहीं समझा जायेगा, जो (स्मारक) या जिसका कोई भाग नियतकालि रूप से उस संप्रदाय की धार्मिक पूजा या अनुष्ठान के लिए उपयोग में लाया जाता हो।

7. किसी सुरक्षित स्मारक की मरम्मत के लिए धर्मस्व का उपयोग:-

- (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो किसी सुरक्षित स्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 5 के अधीन करार करने में सक्षम हो, ऐसा करार करना अस्वीकार करें या न करें, और यदि ऐसे स्मारक को अच्छी हालत में रखने के लिए या अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ इसके प्रयोजनार्थ भी कोई धर्मस्व सृजित हो तो राज्य सरकार ऐसे धर्मस्व या उसके किसीभाग के समुचित उपयोग के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद चला सकेगी या यदि स्मारक की मरम्मत का प्राक्कलित खर्च पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हो, तो जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकेगी।
- (2) उपरधारा-1 के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई करते समय जिला न्यायाधीश स्वामी कीओर किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिसका साक्ष्य लेना उसे आवश्यक जान पड़े तथा धर्मस्व या उसके किसी भाग के समुचित उपयोग के लिए आदेश दे सकेगा और ऐसे किसी आदेश को उसी प्रकार निष्पादित किया जा सकेगा, मानो वह किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री हो।

8. करार न करना या करने से अस्वीकार करना:-

- (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो किसी सुरक्षित स्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 5 के अधीन करार करने के लिए सक्षम हो, ऐसा करार करना अस्वीकार करे या न करे तो राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी या सभी बातों का उपबंध करने के लिए आदेश दे सकेगी तथा ऐसा आदेश स्वामी या उस अन्य व्यक्ति और ऐसे हर व्यक्ति के लिए बंधनकारी होगी, जो उस स्वामी या उस अन्य व्यक्ति से उसके जरिये या अधीन उस स्मारक पर हक का दावा करता हो।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये किसी आदेश में वह उपबंध हो कि स्मारक का अनुरक्षण स्वामी या करार करने में सक्षम कोई अन्य व्यक्ति करेगा, तो स्मारक के अनुरक्षण के सारे समुचित खर्च भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक न दिया जायेगा जब तक कि स्वामी या अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध लिखित अभिवेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

9. धारा 5 के अधीन किये गये करार के उल्लंघन के प्रतिषेध का आदेश देने की शक्ति:-

- (1) यदि निदेशक को आशंका हो कि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी या दखलकार धारा 5 के अधीन निष्पादित करार के बंधेजों का उल्लंघन करते हुए स्मारक को नष्ट करना, हटाना, परिवर्तित करना, विरूपित करना, खतरा पहुँचाना या उसका दुरुपयोग करना चाहता है, उसके निकट भवन बनाना चाहता है तो निदेशक स्वामी या दखलकार को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद, करार के ऐसे उल्लंघन के प्रतिषेध का आदेश दे सकेगा।
परन्तु किसी ऐसे मामले में ऐसा अवसर देने की जरूरत नहीं है जहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निदेशक का समाधान हो जाय कि ऐसा करना हितकर या व्यवहारिक नहीं है।
- (2) इस धारा के अधीन दिए हुए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति यथाविहित समय के भीतर और रीति से राज्य सरकार के पास अपील कर सकेगा और इस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

10. करार का प्रवर्तन:-

- (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो धारा 5 के अधीन निष्पादित करार द्वारा किसी स्मारक को अनुरक्षित करने के लिए बाध्य है, निदेशक द्वारा यथानियत समय के भीतर कोई ऐसा कार्य करना अस्वीकार के लिये आवश्यक हो, तो निदेशक किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और वह स्वामी या अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य करने का खर्च या खर्च का उतना अंश देने का भागी होगा जितना वह स्वामी करार के अधीन भुगतान कराने का भागी हो।
- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतेय खर्च की रकम के बारे में कोई विवाद उठे तो वह राज्य सरकार के पास भेज दिया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

11. कुछ नीलामों के खरीददार और स्वामी के जरिये दावा करने वाली व्यक्ति, स्वामी द्वारा निष्पादित लिखित से बाध्य होंगे:-

ऐसा हर व्यक्ति जो भू-राजस्व के बकाये या किसी अन्य लोक-मांग के लिये हुए नीलाम में ऐसी भूमि खरीदे जिस पर कोई ऐसा स्मारक अवस्थित हो जिसके संबंध में तत्कालीन स्वामी ने धारा 5 के अधीन (उस समय) कोई लिखित निष्पादित किया हो और ऐसा हर व्यक्ति जो ऐसा लिखित निष्पादित करने वाले किसी स्वामी से उसके जरिये या उसके अधीन किसी स्मारक पर हक का दवा करे, उस लिखित से बाध्य होगा।

12. सुरक्षित स्मारक का अर्जन:-

यदि राज्य सरकार को यह आशंका हो कि किसी सुरक्षित स्मारक के नष्ट, क्षतिग्रस्त, दुरुपयोजित होने या शीर्ण होने को छोड़ दिए जाने का खतरा है तो वह लैंड एक्विजिशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) के उपबंधों के अधीन उस सुरक्षित स्मारक को अर्जित कर सकेगी, मानो सुरक्षित स्मारक का अनुरक्षण उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत लोक-प्रयोजन हो।

13. कुछ सुरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण:-

- (1) राज्य सरकार ऐसे हर स्मारक का अनुरक्षण करेगी जो धारा 12 के अधीन अर्जित किया गया हो या जिसके संबंध में धारा 4 में उल्लिखित कोई अधिकार अर्जित किया गया हो।
- (2) धारा 4 के अधीन किसी स्मारक का अभिभावकत्व ग्रहण कर लेने पर निदेशक उस स्मारक का निरीक्षण करने के लिए सभी उचित समयों पर स्वयं या अपने एजेंट, अधीनस्थ और कामगारों के जरिए उस स्मारक का निरीक्षण करने और ऐसी सामग्रियां लाने तथा ऐसे कार्य करने के लिए जो वह (निदेशक) स्मारक के अनुरक्षणार्थ आवश्यक या वांछनीय समझे, उस स्मारक पर जाने का अधिकार होगा।

14. स्वैच्छिक अंशानुदान:-

निदेशक किसी सुरक्षित स्मारक के अनुरक्षण संबंधी खर्च के लिए स्वैच्छिक अंशानुदान प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार प्राप्त अंशानुदानों के प्रबंध और उपयोग के लिए यथावश्यक सामान्य या विशेष निर्देश दे सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त कोई अंशानुदान, जिस प्रयोजन के लिए वह दिया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन में नहीं लगाया जायेगा।

15. दुरुपयोग से तथा दुषित या अपवित्र होने से पूजा-स्थल की रक्षा:-

- (1) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित ऐसे सुरक्षित स्मारक का, जो पूजा का स्थान या तीर्थ स्थान हो, उपयोग उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल किसी प्रयोजन में न किया जायेगा।

(2) जब राज्य सरकार ने धारा 12 के अधीन कोई सुरक्षित स्मारक अर्जित किया हो या जब निदेशक ने किसी सुरक्षित स्मारक की धारा 4 के अधीन खरीदा या पट्टे पर लिया हो या उसे दान या वसीयत के रूप में स्वीकार किया हो या उसका अभिभावकत्व ग्रहण किया हो और जब ऐसा स्मारक या उसका कोई भाग किस सम्प्रदाय द्वारा धार्मिक पूजा या अनुष्ठानों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, तो निदेश ऐसे स्मारक या उसके भाग को दूषित या अपवित्र होने से बचाने के लिये:-

(क) ऐसा प्रतिषेध करके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त स्मारक या उसके किसी भाग को उपयोग में लाने वाले सम्प्रदाय की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार वहां जाने का हकदार नहीं है, उक्त स्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक भारसाधक व्यक्तियों की, यदि हो, सम्मति से विहित शर्तों के अनुसार ही उसमें प्रवेश कर सकेगा अन्यथा नहीं, या

(ख) ऐसी अन्य कार्रवाई करके जो निदेशक इस निमित्त आवश्यक समझे, उचित व्यवस्था करेगा।

16. किसी स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारों का परित्याग राज्य सरकार की मंजूरी से, निदेशक:-

(क) जब निदेशक ने इस अधिनियम के अधीन किसी स्मारक के संबंध में किसी बिक्री, पट्टे, दान या वसीयत के जरिये अर्जित किया गया कोई अधिकार सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर इस प्रकार अर्जित अधिकारों का परित्याग उस व्यक्ति के हित में करेगा जो उस समय उस स्मारक का स्वामी होता परित्यक्त कर सके यदि ऐसा अधिकार अर्जित नहीं किया गया होता, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन ग्रहण किये गये किसी स्मारक के अभिभावकत्व का परित्याग कर सकेगा।

17. सुरक्षित स्मारकों में प्रवेश का अधिकार:-

इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन रहते हुए सर्वसाधारण को किसी सुरक्षित स्मारक में प्रवेश का अधिकार होगा।

सुरक्षित क्षेत्र

18. सुरक्षित क्षेत्र में संपत्ति-अधिकारों के उपभोग पर प्रतिबंध:-

(1) किसी सुरक्षित क्षेत्र के स्वामी या दखलदार सहित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी सुरक्षित क्षेत्र के भीतर कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य करेगा, न उस क्षेत्र में खनन, उत्खनन, खुदाई, विस्फोट या इस प्रकार का कोई अन्य कार्य करेगा, ओर न उस क्षेत्र या उसके किसी भाग का अन्य उपयोग करेगा।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध से किसी ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का कृषि के लिए उपयोग प्रतिषिद्ध न समझा जायेगा, यदि कृषि के लिए सतह से एक फुट से अधिक गहरी मिट्टी खोदना न पड़े।

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा(1) के उपबन्धों के विरुद्ध किसी सुरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित भवन या अन्य निर्माण उल्लिखित अवधि के भीतर हटा दिया जाय और यदि वह व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन करना अस्वीकार करे या उसका पालन न करे तो निदेशक उस भवन को हटवा सकेगा और भवन हटवाने का खर्च उस व्यक्ति द्वारा देय होगा।

19. सुरक्षित क्षेत्र अर्जित करने की शक्ति:-

यदि राज्य सरकार किसी स्मारक/संरक्षित स्थल/क्षेत्र का संरक्षण आवश्यक समझे तो भू-अर्जन अधिनियम (लैंड एक्विजिशन ऐक्ट), 1894, (1, 1894) के उपबंधों के अधीन उस क्षेत्र को लोक प्रयोजन के हित में अर्जित कर सकेगी।

पुरातात्विक खुदाई**20. सुरक्षित क्षेत्रों में खुदाई:-**

कोई पुरातत्व पदाधिकारी या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन इसके लिए दिया गया लाइसेंस धारण करने वाला कोई व्यक्ति (आगे लाइसेंसधारी के रूप में निर्दिष्ट) निदेशक और स्वामी की लिखित सूचना देने के बाद, किसी सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश और उसकी खुदाई कर सकेगा अगर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व-स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (24, 1958) की धारा 24 के उपबंधों के प्रतिकूल न हो।

21. सुरक्षित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में खुदाई:-

प्राचीन स्मार एवं पुरातत्व-स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, (24, 1958) की धारा 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी पुरातत्व पदाधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि सुरक्षित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खंडहर या पुरावशेष हैं तो वह या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, निदेशक और स्वामी को लिखित सूचना देने के बाद, उस क्षेत्र में प्रवेश और उसकी खुदाई कर सकेगा। अगर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व-स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (24, 1958) की धारा 24 के उपबंधों के प्रतिकूल न हो।

22. खुदाई-कार्य के सिलसिले में मिले पुरावशेष आदि का अनिवार्य अर्जन:-

(1) जब धारा 20 या धारा 21 के अधीन किसी क्षेत्र में की गई खुदाई में कोई पुरावशेष मिले तो, यथास्थिति, पुरातत्व पदाधिकारी या लाइसेंसधारी।

(क) यथाशीघ्र उन पुरावशेषों की जांच करेगा और राज्य सरकार को यथाविहित रीति से और यथाविहित विवरण के साथ एक प्रतिवेदन देगा।

(ख) खुदाई-कार्य समाप्त होने पर इन पुरावशेषों के प्रकार के संबंध में उस भूमि के स्वामी को लिखित सूचना देगा जिस भूमि से ये पुरावशेष प्राप्त हुए हों।

(2) जब तक उपधारा (3) के अधीन ऐसे पुरावशेषों का अनिवार्य अर्जन का आदेश नहीं दिया जाय तब तक, यथास्थिति पुरातत्व-पदाधिकारी या लाइसेंसधारी उन्हें ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जो ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन मिलने पर राज्य सरकार ऐसे किन्हीं पुरावशेषों का अनिवार्य अर्जन का आदेश दे सकेगी।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन किसी पुरावशेष के अनिवार्य अर्जन का आदेश दिया जाए तब वह पुरावशेष आदेश की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जायेगा।

23. पुरातात्विक प्रयोजनों के लिए खुदाई आदि:-

धारा 21 में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर कोई पुरातत्व- पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना और राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों या दिए गए निर्देशों का अनुसरण किए बिना, ऐसे क्षेत्र में, जो सुरक्षित क्षेत्र न हो, पुरातात्विक प्रयोजनों के लिए कोई खुदाई या इस तरह का कोई अन्य कार्य न तो करेगा, न किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत ही करेगा।

पुरावशेषों का सुरक्षण**24. पुरावशेषों के स्थानान्तरण पर नियंत्रण रखने की राज्य सरकार की शक्ति:**

1. (1) यदि राज्य सरकार समझे कि कोई पुरावशेष या पुरावशेष-वर्ग उसकी मंजूरी के बिना किसी स्थान से नहीं हटाया जाना चाहिए, जहां वह रखा गया है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सेगी कि ऐसा कोई पुरावशेष या पुरावशेष-वर्ग निदेश को लिखित अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए हरेक आवेदन-पत्र यथाविहित प्रपत्र में होगा और उसमें यथाविहित विवरण दिये जायेंगे।

(3) अनुमति की अस्वीकृति के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अपील की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

2. राज्य के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा रक्षित पुरावशेष (मूर्ति, चित्रकारी, अभिलेख, प्राचीन भवन आदि का कलात्मक खंडित अंश, पाण्डुलिपि, शिल्प आदि) का निबंधन, पुरातत्व विभाग में कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए एक पुरातात्विक पदाधिकारी मनोनीत होगा। इस अधिनियम में निर्धारित प्रावधान के विपरीत कार्य करने वाला व्यक्ति 25,000 रुपये तक दंड अथवा तीन माह तक के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

25. राज्य सरकार द्वारा पुरावशेषों का अर्जन:

(1) यदि राज्य सरकार को यह आशंका हो कि धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित किसी पुरावशेष के नष्ट, स्थानान्तरित, क्षतिग्रस्त दुरुपयोजित होने या शीर्ण होने का भय है अथवा राज्य सरकार की यह राय है कि उक्त पुरावशेष को उसके ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के कारण किसी सार्वजनिक स्थान में सुरक्षित रखना वांछनीय है, तो राज्य सरकार उक्त पुरावशेष के स्वामी को उसके अर्जन के संबंध में नोटिस देगा।

(2) जब किसी पुरावशेषों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य अर्जन की नोटिस दी जाए, तब ऐसा पुरावशेष नोटिस की तारीख से ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगा।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त अनिवार्य अर्जन शक्ति यथार्थ धार्मिक अनुष्ठानों में वस्तुतः ध्वस्त किसी प्रतिमा या प्रतीक पर लागू न होगी।

मूल्यांकन एवं मआवजें के सिद्धान्त

26. हानि या क्षति के लिए मुआवजा:-

यदि भूमि के किसी स्वामी या दखलकार को अपनी किसी भूमि में प्रवेश या खुदाई किये जाने के कारण अथवा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के प्रयोग के चलते कोई हानि, क्षति या उस भूमि से होने वाले मुनाफे में कमी हुई हो तो राज्य सरकार उसे ऐसी हानि, क्षति या मुनाफे की कमी के लिये मुआवजा देगी।

27. मूल्य या मुआवजे का निर्धारण:-

(1) जब किसी ऐसी भूमि के मूल्य या मुआवजे के संबंध में, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उक्त मूल्य पर अर्जित करने के लिए शक्ति-संपन्न है, या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे के संबंध में विवाद उठे, तो वह मूल्य या मुआवजे की रकम, लैंड एक्विजीशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) की धारा 3, 5, 8 से 34, 45, 46, 51 और 52 में उपबंधित रीति से, जहाँ तक ये धाराएँ लागू होती हों, निश्चित की जायेगी।

परन्तु, लैंड एक्विजिशन ऐक्ट के अधीन जांच करते समय समाहर्ता दो असेसरों की सहायता लेगा, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नियत समय के भीतर मनोनीत सक्षम व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति संबद्ध स्वामी द्वारा अथवा यदि उक्त स्वामी इसके लिए समाहर्ता द्वारा नियत समय के भीतर असेसर मनोनीत न करे, तो स्वयं समाहर्ता द्वारा मनोनीत होगा।

(2) जब किसी ऐसे पुरावशेष के मूल्य के संबंध में, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उक्त मूल्य पर अर्जित करने के लिए शक्ति सम्पन्न है, या इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिये, राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मूल्य के संबंध में विवाद उठे तो समाहर्ता दो असेसरों की सहायता लेगा जिसमें एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सक्षम व्यक्ति हो और दूसरा व्यक्ति संबद्ध स्वामी द्वारा अथवा यदि उक्त स्वामी इसके लिए समाहर्ता द्वारा नियत समय के भीतर असेसर मनोनीत न करें, तो स्वयं समाहर्ता द्वारा मनोनीत होगा।

(3) उपधारा (1) या लैंड एक्विजिशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी पुरावशेष का जिसके अनिवार्य अर्जन के संबंध में धारा 22 की धारा (2) या धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, मूल्य या मुआवजा निर्धारित करते समय उक्त पुरावशेष के ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के कारण उसके मूल्य में हुई वृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रकीर्ण

28. शक्ति का प्रत्यायोजन:-

राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य-सरकार की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, उस निर्देश में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी भी कर सकेंगे जो उस निर्देश में उल्लिखित हों।

29. पुरावशेष के व्यापार के लिये लाइसेंस:-

कोई भी व्यक्ति, एन्टिक्विटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972 (52, 1972) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये लाइसेंस के अधीन ही किन्हीं पुरावशेषों एवं कला निधियों का व्यापार कर सकेगा, अथवा नहीं।

30. पुरावशेष की बिक्री, आदि का वर्जन:-

कोई भी व्यक्ति एन्टिक्विटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972 (52, 1972) की धारा 5 एवं 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना, न तो किसी पुरावशेष या कलानिधि की बिक्री करेगा, न उसे हटायेगा अथवा उसका दान करेगा या उसके स्वामित्व को अन्यथा अंतरित करेगा।

31. किसी पुरावशेष की जांच करने और उसका फोटोग्राफ लेने का प्राधिकार:-

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुरातत्व पदाधिकारी, किसी ऐसे पुरावशेष की जांच कर सकेगा और उसका फोटोग्राफ ले सकेगा जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था अथवा (प्राइवेट) निजी संग्रहालय के कब्जे या अभिरक्षा में हो।

32. किसी पुरावशेष के बारे में घोषणा:-

(1) जो कोई व्यक्ति किसी पुरावशेष का स्वामी हो अथवा कोई पुरावशेष उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, वह इस अधिनियम के प्रारंभ के साठ दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा निदेशक को अथवा यथाविहित प्राधिकारी को यथाविहित फारम में करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, जो कोई व्यक्ति किसी पुरावशेष का स्वामी हो अथवा कोई पुरावशेष उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में आये वह ऐसे पुरावशेष को स्वामी होने या उसे अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में लेने के पन्द्रह दिनों के भीतर निदेशक अथवा यथाविहित प्राधिकारो, को, यथाविहित फॉर्म में इस आशय की घोषणा करेगा परन्तु उपर्युक्त उपबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पदाधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

33. पुरावशेष के खो जाने की रिपोर्ट:-

जो कोई व्यक्ति किसी पुरावशेष का स्वामी हो अथवा (कोई पुरावशेष) उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई पुरावशेष हो, वह उसके खोने या नष्ट होने की दशा में पुरावशेष के खोने या नष्ट होने के साठ दिनों के भीतर यथाविहित प्राधिकारी को यथाविहित फॉर्म में इसकी जानकारी देगा।

34. प्रवेश, तलाशी, जप्ती इत्यादि की शक्ति:-

(1) कोई व्यक्ति जो सरकारी पदाधिकारी हो तथा जो एतदर्थ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन हेतु अथवा अपने को संतुष्ट करते हुए कि इस अधिनियम के उपबंध अनुपालित हुए हैं:-

(i) किसी स्थान में प्रवेश तथा उसी तलाशी कर सकता है।

(ii) किसी पुरावशेष अथवा कलानिधि को जप्त करसकता है जिसके संबंध में उसे संदेह हो कि इस अधिनियम का कोई उपबंध उल्लंघित हुआ है अथवा हो रहा है अथवा होने वाला है तथा तत्पश्चात् इस प्रकार जप्त पुरावशेष अथवा कलानिधि को न्यायालय में पेश (प्रस्तुत) करने हेतु तथा पेश करने के समय तक उसकी पूर्ण अभिरक्षा के निमित्त समस्त आवश्यक उपाय कर सकता है।

(2) तलाशी और जप्ती से संबंधित आपाराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(1), 100(3), 100(4) एवं 100(5) के उपबंध, जहाँ तक संभव हो, इस धारा के अन्तर्गत तलाशी और जप्ती में भी लागू होंगे।

35. कोई वस्तु आदि पुरावशेष अथवा कलानिधि है अथवा नहीं, इसे निश्चित करने की शक्ति:-

यदि ऐसा प्रश्न उठे कि कोई वस्तु, पदार्थ, चीज अथवा हस्तलेख, लिखित प्रमाण अथवा अन्य प्रलेख इस अधिनियम के अन्तर्गत पुरावशेष अथवा कलानिधि है कि नहीं, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, झारखण्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को यह मामला सौंप दिया जायेगा तथा निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

36. शास्ति:-

(1) यदि कोई व्यक्ति:-

(क) किसी सुरक्षित स्मारक को नष्ट, स्थानान्तरित, क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, विरूपित, आपदाग्रस्त या दुष्प्रयोजित करें, या

(ख) किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी या दखलकार होते हुए धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करें, या

(ग) किसी सुरक्षित स्मारक से कोई मूर्ति, नक्काशी, प्रतिमा, अध्याचित, पुरालेख या इस प्रकार की कोई अन्य वस्तु हटाये, या

(घ) धारा-18 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करें, या

(ङ.) धारा-32 की अपेक्षानुसार घोषणा करने में असफल रहे, या

(च) धारा-33 की अपेक्षाओं के अनुसार सूचना देने में असफल रहे, तो उसे तीन महीने तक के कारावास का या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकेगा।

(2) जो व्यक्ति:-

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुदान लाइसेंस के बिना पुरावशेष का व्यापार करेगा, अथवा

(ख) राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई पुरावशेष या कलानिधि बेचेगा, हटाएगा या उसे दान करेगा या अन्यथा उसके स्वामित्व या अन्तरण करेगा, अथवा

(ग) किसी मंदिर, पुरातत्व स्थल, प्राइवेट संग्रहालय अथवा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान से किसी पुरावशेष या कलानिधि की चोरी करेगा, वह तीन वर्ष तक के कारावास या पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए कोई पुरावशेष हटावे, तो उसे पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा और न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए कोई पुरावशेष हटावे, तो उसे पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा और न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए यह आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उक्त पुरावशेष की उसी जगह पुनःस्थापित कर दे जहाँ से वह हटाया गया हो।

37. अपराधों के परीक्षण का क्षेत्राधिकार:-

द्वितीय श्रेणी न्यायायिक दंडाधिकारी न्यायालय से निम्न स्तर का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का परीक्षण न करेगा।

38. कुछ अपराध संज्ञेय होंगे:-

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 36, के उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) तथा उपधारा-2 के खण्ड-ग के अधीन किया गया अपराध इस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध समझा जायेगा।

39. जुर्माने के संबंध में विशेष उपबंध:-

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त प्रथम श्रेणी के किसी न्यायायिक दंडाधिकारी के लिये यह विधिसंगत होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन दो हजार रुपये से अधिक जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराये गये व्यक्ति को दो हजार रुपये से अधिक जुर्माने की सजा दे।

40. राज्य-सरकार को देय रकम की वसूली:-

इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय रकम, निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पुरातत्व पदाधिकार द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट पर, उसी रीति से वसूली जायेगी जैसे भू-राजस्व का बकाया वसूला जाता है।

41. प्राचीन स्मारक आदि, जिनका सुरक्षण बाद में आवश्यक न रह जाय:-

यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व - स्थल और अवशेष का सुरक्षण आवश्यक न रह गया हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि यथास्थिति, वह प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व-स्थल और अवशेष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अब सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह गया।

42. भूल, आदि के सुधार की शक्ति:-

इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष के विवरण में यदि कोई लेखन-अशुद्धि, स्पष्ट गलती या आकस्मिक भूल-चूक के फलस्वरूप त्रुटि हुई हो तो, उसे राज्य सरकार, किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा शुद्ध कर सकेगी।

43. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की रक्षा:-

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त, शक्ति के प्रयोग में किए गए या सद्भावपूर्वक किए जाने से अभिप्रेत किसी काम के संबंध में किसी लोक सेवक के विरुद्ध मुआवजा के लिए वाद न चलया जाएगा, न कोई दंड-कार्यवाही ही चलाई जायेगी।

44. नियम बनाने की शक्ति:-

(1) राज्य-सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकेगा।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्न किसी या सभी बातों का उपबंध किया जा सकेगा।

(क) किसी सुरक्षित स्मारक के निकट खनन, उत्खनन, खुदाई, विस्फोट या इस प्रकार का कोई अन्य कार्य अथवा ऐसे स्मारक से सटी भूमि पर भवन-निर्माण और कोई अप्राधिकृत भवन तोड़ना, प्रतिसिद्ध करना अथवा लाइसेंस द्वारा या अन्यथा विनियमित करना।

(ख) सुरक्षित क्षेत्रों में पुरातत्वीय प्रयोजनार्थ खुदाई करने के लिए लाइसेंस और अनुमति देना, प्राधिकारियों द्वारा और किन् शर्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए ऐसे लाइसेंस दिये जायेंगे, लाइसेंस-धारियों से प्रतिभूति लेना और ऐसे लाइसेंसों के लिए फीस लेना।

(ग) किसी सुरक्षित स्मारक में सार्वजनिक प्रवेश का अधिकार और इसके लिये फीस यदि कोई हो, लेना।

(घ) धारा-22 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी पुरातत्व पदाधिकारी या लाइसेंसधारी को रिपोर्ट का फॉर्म और उसकी विषयवस्तु।

(ङ.) धारा-18 या धारा 24 के अधीन अनुमति के लिये आवेदन करने का फारम और उसमें भरे जाने वाले ब्योरे।

- (च) इस अधिनियम के अधीन अपील करने का फारम और रीति और कितने समय के भीतर यह दायर किया जा सकेगा।
- (छ) इस अधिनियम के अधीन आदेश या नोटिस तामिल करने की रीति।
- (ज) पुरातत्वीय प्रयोजनार्थ खुदाई और इस तरह का अन्य कार्य करने की रीति, और
- (झ) कोई अन्य विषय, जो विहित करना हो या किया जा सके।
- (3) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम में उपबंध किया जा सकेगा कि उसका भंग निम्न रूप से दंडनीय होगा:-
- (1) उपधारा-2 के खंड-क के प्रसंग में बने नियम की दशा में तीन महीने तक का कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों।
- (2) उपधारा-2 के खंड-ख के प्रसंग में बने नियम की दशा में पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माना, और
- (3) उपधारा-2 के खंड-ग के प्रसंग में बने नियम की दशा में पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माना।
- (4) इस धारा के अधीन बना हरेक नियम बनने के बाद यथाशीघ्र, झारखण्ड विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो चाहे एक ही सत्र में पड़े या लगातार दो सत्रों में और जिस सत्र में यह इस प्रकार रखा जाए उस सत्र या उससे ठीक सत्र की समाप्ति के पूर्व यदि झारखण्ड विधान सभा नियम में कोई रूपभेद करने के लिए सहमत हो, अथवा यदि झारखण्ड विधान सभा सहमत हो कि वह नियम न बनाया जाए, तो वह नियम उसके बाद, यथास्थिति वैसे रूपभेदित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी न होगा, किन्तु ऐसा कोई रूपभेदया अवशून्यन उस नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगां
45. इस अधिनियम का कतिपय प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों और अवशेषों या पुरावशेषों पर लागू न होना:-
इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित विषयों पर लागू न होगी:-
- (क) ऐसे प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व-स्थलों और अवशेषों पर, जो एन्शिएंट मोन्युमेंट्स एण्ड आर्क्योलोजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स ऐक्ट, 1958 (24, 1958) के द्वारा या अधीन या संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए हों या इसके बाद घोषित किए जायें।
- (ख) ऐसे पुरावशेषों पर, जिन पर एन्शिएंट मोन्युमेंट्स एण्ड आर्क्योलोजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स ऐक्ट, 1958 (24, 1958) के उपबंध तत्काल लागू हों।
- (ग) ऐसे प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों और अवशेषों या पुरावशेषों पर, जिन पर एन्शिएंट मोन्युमेंट्स प्रियर्वेशन ऐक्ट, 1904 (7, 1904) के उपबंध तत्काल लागू हों ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिनेश कुमार सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

23 मई, 2016

संख्या-एल0 जी0-08/2016-94/लेज0 झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 मई, 2016 को अनुमत झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

THE JHARKHAND ANCIENT MONUMENT AND ARCHAEOLOGICAL SITES, REMAINS AND ART TREASURE ACT, 2016
(Jharkhand Act-14,2016)

AN ACT

TO PROVIDE FOR PRESERVATION OF ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS OTHER THAN THOSE DECLARED BY OR UNDER LAW MADE BY PARLIAMENT TO BE OF NATIONAL IMPORTANCE FOR THE REGULATION OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION AND FOR THE PROTECTION OF ANTIQUITIES IN THE STATE OF JHARKHAND.

Preamble- Be it enacted by the Jharkhand Legislature in the 67th year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement-

- This Act may be called the Jharkhand Ancient Monuments and Archaeological Sites, Remains and Art Treasures Act., 2016.
- It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- "Ancient Monument" means any structure, erection or monument or any tumulus or place of internment, or burning or nay cave, stone sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest , and which has been in existence for not less than one hundred years and includes-
 - the remains thereof,
 - the site thereof,
 - the portion of land adjoining such site which may be necessary or required for the preservation, protection, upkeep and maintenance of the same; and
 - the means of access thereto and convenient inspection and repairs thereof;
- "Antiquity" includes-
 - any coin, sculpture, painting, epigraph, or other work of art or craftsmanship;

- ii) any article, object or thing detached from a building or cave;
- iii) any article, object or thing illustrative of science, art, crafts, literature, religion, customs, morals or politics of bygone ages;
- iv) any article, object or thing of historical interest; and
- v) any article, object or thing which the State Government may by reason of its historical or archaeological association by notification in the Official Gazette, declare to be any antiquity for the purpose of this ordinance and which has been in existence for not less than one hundred years and
- vi) any manuscript, record or other document which is of scientific, historical, literary or aesthetic value and which has been in existence for not less than seventy five years.

- c) "Art treasure" means any human work of art, not being an antiquity declared by the state government by notification on the Official Gazette, to be an art treasure for the purposes of this Act having regard to its historical and aesthetic value.

Provided that no declaration under this clause shall be made in respect of any such work of art so long as the author thereof is alive:

- d) "Archaeological Officer" means any officer of the Department of Archaeology and Museums of the State Government not below such rank as the State Government may from time to time prescribe:
- e) "Archaeological site and remains" any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance and which have been in existence for not less than one hundred years and includes-
- i) such portion of lands as adjoining the area may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it; and
 - ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;
- f) "Director" means Director of Archaeology and Museums of the State Government and includes any officer authorized by the State Government to perform the duties of the Director;
- g) "Maintain" with its grammatical variations and cognate expressions includes the fencing, covering, repairing, restoring and cleaning of a protected monument and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or creating an ambience conducive to it or securing convenient access thereto.
- h) "Owner" includes-
- (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor -in-title of any such owner; and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor in office of any such manager or trustee;
- i) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

- j) "Protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be a protected area by or under this act.
- k) "Protected monument" means ancient monument which is declared to be a protected monument by or under this Act and
- l) "State Government" means the State Government of Jharkhand.

PROTECTION OF ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS

3. Power of State Government to declare ancient monuments etc. to be protected monuments and areas:-

- (1) Where the State Government is of opinion that any ancient monument or archaeological site and remains requires protection under this Act, it may by notification in the Official Gazette, give two months notice of its intention to declare such ancient monument or archaeological site and remains to be a protected monument or a protected area as the case may be; and a copy of every such notification shall be affixed in a conspicuous place near the monument or the site and remains, as the case may be;
- (2) Any person interest in any such ancient monument or archaeological site and remains may, within two months after the issue of the notification, object to the declaration of the monuments or the archaeological site and remains, to be a protected monument or a protected area,
- (3) On the expiry of the said period of two months, the State Government may, after considering the objections, if any, received by it, declare by notification in the Official Gazette, the ancient monuments or the archaeological site and remains, as the case may be to be a protected monument or a protected area.
- (4) A notification published under sub-section (3) shall, unless and until it is withdrawn by conclusive evidence of the fact that the ancient monument or the archaeological site and remains to which it relates is a protected monument or a protected area for the purpose to this Act.

4. Acquisition of rights in a protected monuments :-

- (1) The Director may, with the sanction of the State Government, purchase or take a lease of or accept a gift or bequest of any protected monument.
- (2) Where a protected monuments is without an owner, the Director may, by notification in the Official Gazette, assume the guardianship of the monument.
- (3) The Owner of any protected monument may, by written instrument constitute the Director the guardian of the monument and the Director may, with the sanction of the State Government, accept such guardianship.
- (4) When the Director has accepted the guardianship of a monument under sub section (3), the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title or interest in and to the monument as if the Director had not been constituted a guardian thereof; and the provision of this Act relating to the agreement executed under section 5 shall apply to the written instrument executed under sub-section (3).
- (5) Nothing in this section shall affect the use of any protected monument for customary religious observances.

5. Preservation of protected monument by agreement :-

- (1) The Director, when so directed by the State Government, shall propose to the owner of the protected monument to enter into an agreement with the State Government within a specified period for the maintenance of the monument.
- (2) An agreement under this section may provide for all or any of the following matter, namely:-
 - (a) the maintenance of the monument;
 - (b) the custody of the monument and the duties of any person who may be employed to look after it;
 - (c) the restriction of the owner's right :-
 - (i) to use the monument for any purpose
 - (ii) to charge any fee for entry into, or inspection of the monument
 - (iii) to destroy, remove, alter or deface the monument or
 - (iv) to build on or near the site of the monument;
 - (d) the facilities of access to be permitted to the public or any section thereof or to archaeological officer or other officer or authority authorized by the State Government to inspect or maintain the monument;
 - (e) the notice to be given to the State Government in case the land on which the monument is situated or any adjoining land is offered for sale by the owner, and the right to be reserved to the Government to purchase such land, or any specified portion of such land, at its market value;
 - (f) the payment of any expenses incurred by the owner or by the Government in connection with the maintenance of the monument;
 - (g) the proprietary or other rights which are to vest with the State Government in respect of the monument when any expenses are incurred by the State Government in connection with the maintenance of the monument;
 - (h) the appointment of any authority to decide any dispute arising out of the agreement; and
 - (i) the matter connected with the maintenance of the monument which is a proper subject of agreement between the owner and the State Government;
- (3) The State Government or the owner may, at any time, after the expiration of three years from the date of execution of an agreement under this section, terminate it on giving six months notice in writing to the other party:

Provided that when the agreement is terminated by the owner, he shall pay to the State Government the expenses, if any, incurred by it on the maintenance of the monument during the five years immediately preceding the termination of the agreement or, if the agreement has been in force for a shorter period, during the period the agreement was in force.

- (4) An agreement under this section shall be binding on any person claiming to be the owner of the monument to which it relates, from through or under a party by whom or on whose behalf the agreement was executed.
6. Persons competent to exercise powers of owners under section 5, in respect of protected monuments, when owner is under disability or when it is a village property :-

- (1) If the owner of a protected monument is unable, by reason of minority, or other disability, to act for himself, the person legally competent to act on his behalf may exercise the powers conferred upon an owner by section 5.
- (2) In the case of a protected monument which is a village property, the headman or other village office exercising powers of management over such property may exercise the powers conferred upon an owner by section 5.
- (3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person not being of the same religion as the person on whose behalf he is acting to make or execute an agreement relating to a protected monument which or any part of which is periodically used for the religious worship or observance of that religion.

7. Application of endowment to repair a protected monument :-

- (1) If any owner or other person competent to enter into an agreement under section 5 for the maintenance of a protected monument refuses or fails to enter into such an agreement, and if any endowment has been created for the purpose of keeping such monument in repair or for that purpose among others, the State Government may institute a suit in the Court of the District Judge or if the estimated cost of repairing the monument does not exceed fifty thousand rupees, may make an application to the District Judge, for the proper application of such endowment or part thereof.
- (2) On the hearing of an application under sub- section (1) the District Judge may summon and examine the owner and any person whose evidence appears to him necessary and may pass an order for the proper application of the endowment or any part thereof any such order may be executed as if it was a decree of the Civil Court.

8. Failure or refusal to enter into an agreement :-

- (1) If any owner or other person competent to enter into an agreement under section 5 for the maintenance of a protected monument refuses or fails to enter into such an agreement, the State Government may make an order providing for all or any of the matters specified in sub-section (2) of section 5 and such order shall be binding on the owner or such other person and on every person claiming title to the monument from, through or under the owner or such other person.
- (2) Whether an order made under sub- section (1) provides that the monument shall be maintained by the owners or others person competent to enter into an agreement, all reasonable expenses for the maintenance of the monument shall be payable by the State Government.
- (3) No order under sub- section (1) shall be made unless the owner or other person has been given an opportunity of making a representation in writing against the proposed order.

9. Power to make order prohibiting contravention of agreement under section 5 :-

- (1) If the Director apprehends that the owner or occupier of a protected monument intends to destroy, remove, alter, deface, imperil or misuse the monument or to build on or near the site thereof in contravention of the terms of a agreement executed under section 5, the Director may, after giving the owner or occupier an opportunity of making a representation in writing make an order prohibiting any such contravention of the agreement.

Provided no such opportunity need be given in any case when the Director, for reasons to be recorded, is satisfied that it is expedient or practicable to do so.

- (2) Any person aggrieved by an order under this section may appeal to the State Government within such time and in such manner as may be prescribed and the decision of the State Government shall be final.

10. Enforcement of agreement :-

- (1) If an owner or other person who is bound to maintain a monument by an agreement executed under section 5 refuses or fails within such reasonable time as the director may fix, to do any act which in the opinion of the director is necessary for the maintenance of the monument the Director may authorize any person to do any such act, and the owner or other person shall be liable to pay the expenses of doing any such act or such portion of the expenses as the owner may be liable to pay under the agreement.
- (2) If any dispute arises regarding the amount of expenses payable by the owner or other person under sub-section (1), it shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

11. Purchasers at certain sales and persons claiming through owner bound by instrument executed by owner :-

Every person who purchases, at a site for arrears of land revenue or any other public demand, any land on which is situated a monument in respect of which any instrument has been executed by the owner for the time being under section 4 or section 5 and every person claiming any title to a monument from, through or under an owner who executed any such instrument, shall be bound by such instrument.

12. Acquisition of protected monument :-

If the State Government apprehends that a protected monument is in danger of being destroyed, injured, misused or allowed to fall into decay, it may acquire the protected monument under the provision of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894), as if the maintenance of the protected monument were a public purpose within the meaning of that Act.

13. Maintenance of certain protected monument:-

- (1) The State Government shall maintain every monument which has been acquired under section 12 or in respect of which any of the rights mentioned in section 4 has been acquired.
- (2) When the Director has assumed the guardianship of a monument under section 4, he shall, for the purpose of maintaining such monument, have access to the monument at all reasonable times, by himself and by his agents subordinates and workmen for the purpose of inspecting the monument and for the purpose of bringing such materials and doing such acts as he may consider necessary or desirable for the maintenance thereof.

14. Voluntary contributions :-

The Director may receive voluntary contributions towards the cost of maintaining a protected monument and may give such general or special directions as he considers necessary for the management and application of the contribution so received by him.

Provided that no contribution received under section shall be applied to any purpose other than the purpose for which it was contributed.

15. Protection of place of worship from misuse, pollution or desecration :-

- (1) A protected monument maintained by the State Government under this Act which is a place of worship or shrine shall not be used for any purpose inconsistent with its sanctity.
- (2) Where the State Government has acquired a protected monument under section 12, or where the Director has purchased or taken a lease or accepted a gift or bequest or assumed guardianship of a protected monument under section 4, and such monument or any part thereof is used for religious worship or observances by any community, the Director shall make due provision for the protection of such monument or part thereof, from pollution or desecration :-
 - (a) by prohibiting the entry therein, except in accordance with the conditions prescribed with the concurrence of the persons, if any in religious charge of the said monument or part thereof, of any person not entitled so to enter by the religious usage of the community by which the monument or part thereof is used or
 - (b) by taking such other action as Director may think necessary in this behalf.

16. Relinquishment of State Government rights in a monument :-

With the sanction of the State Government, Director may :-

- (a) Where rights have been acquired by the Director in respect of any monument under this act by virtue of any sale, lease, gift or will relinquish, by notification in the Official Gazette, the rights so acquired to the person who would for the time being be the owner of the monument if such rights had not been acquired ;
or
- (b) Relinquish any guardianship of a monument which he has assured under this Act.

17. Right to access to protected monuments :-

Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, the public shall have a right of access to any protected monument.

PROTECTED AREA

18. Restrictions on enjoyment of property rights in protected area :-

- (1) No person, including the owner or occupier of a protected area, shall construct any structure or building within protected area or carry on any mining, quarrying, excavation, blasting or any operation of a like nature in such area or utilize such area or any part thereof in any other manner without the permission of the State Government:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to prohibit the use of any such area or part thereof for the purpose of cultivation if such cultivation does not involve the digging of more than one foot of soil from the surface.

- (2) The State Government may, by order, direct that any structure or building constructed by any person within a protected area in contravention of the provision of sub-section (1) shall be removed within a specified period and, if the person refuses or fails to comply with the order, the Director may cause the building to be removed and the person shall be liable to pay the cost of such removal.

19. Power to acquire a protected area :-

If the State Government considers necessary for sake of protecting the monument/protected site/area, it may acquire such area under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894) in the interest of public purposes.

20. Excavation in protected areas :-

An archaeological officer or an officer authorized by him in this behalf or any person holding a licence granted in this behalf under this Act (hereinafter referred to as the licensee) may, after giving notice in writing to the Director and the owner, enter upon and make excavations in any protected area if it is not inconsistent with the provisions of section 24 of the Ancient Monuments Provisions, Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24, 1958).

21. Excavations in areas other than protected areas :-

Subject to the provisions of section 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (XXVI of 1959), where an archaeological officer has reason to believe that any area not being a protected area contains ruins or relic of historical or archaeological importance, he or an officer authorized by him in this behalf may, after giving notice in writing to the Director and the owner, enter upon and make excavations in the area if it is not inconsistent with the provision of section 24 of the Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958 (24, 1958)

22. Compulsory acquisition of antiquities, etc. discovered during excavation operations :-

- (1) Whereas a result of any excavations made in any area under section 20 or section 21, any antiquities are discovered, the archaeological officer or the licensee, as the case may be, shall -
- (a) as soon as practicable, examine such antiquities and submit a report to the State Government in such manner and containing such particulars as may be prescribed.
 - (b) At the conclusion of the excavation operations, give notice in writing to the owner of the land from which such antiquities have been discovered, as to the nature of such antiquities.
- (2) Until an order for the compulsory acquisition of any such antiquities is made under sub-section (3), the archaeological officer or the licensee, as the case may be, shall keep them in such safe custody as he may deem fit.

- (3) On receipt of a report under sub-section (1), the State Government may make an order for the compulsory acquisition of any such antiquities at their market value.
- (4) When an order for the compulsory purchase of any antiquity is made under sub-section (2), such antiquities shall vest with the State Government with effect from the date of order.

23. Excavation etc, for archaeological purposes :-

Save as provided in the section 21 no archaeological officer or other authority shall undertake, or authorize any person to undertake, any excavation or other like operation for archaeological purposes in any area which is not a protected area except with the previous approval of the State Government and in accordance with such rules or directions, if any, as the State Government may make or give in this behalf.

PROTECTION OF ANTIQUITIES

24. Power of State Government to control moving of antiquities :-

- (1) (i) If the State Government considers that any antiquity or class of antiquities ought not to be moved from the place where they are without their sanction, the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any such antiquity or any class of such antiquities shall not be mover except with the written permission of the Director.
- (ii) Every application for permission under sub- section (1) shall be in such form and contain particulars as may be prescribed.
- (iii) An appeal shall lie to the State Government against an order refusing permission whose decision shall be final.
- (2) Any antiquity (sculpture, painting, inscription, ancient architectural member, manuscript, craft etc.) owned by any person within the limits of the state, shall be registered with the Deptt. of Archaeology for which an officer shall be nominated in the Deptt. Any person who keeps any antiquity in contravention of the provision of this Act shall be punishable with imprisonment upto three months or with fine upto twenty five thousand rupees or with both.

25. Acquisition of antiquities by State Government :-

- (1) If the State Government apprehends that any antiquity mentioned in notification issued under sub-section (1) of Section 24, is in danger of being destroyed, removed, injured, misused or allowed to fall into decay or is of opinion that, by reason of its historical or archaeological importance, it is desirable to preserve such antiquity in a public place, the State Government may make an order for the compulsory acquisition of such antiquity and the director shall thereupon give notice to the owner of the antiquity to be acquired.
- (2) Where a notice of compulsory acquisition is issued under sub-section (1) in result of any antiquity, such antiquity shall vest in the State Government with effect from the date of the notice.

- (3) The power of the compulsory acquisition given by this section shall not extend to any image or symbol actually used for bonafide religious observances.

PRINCIPLE OF VALUATION AND COMPENSATION

26. Compensation for loss or damage :-

Any owner or occupier of land who has sustain any loss or damage or any diminution of profits form the land by reason of any entry on, or excavations in such land or the exercise of any other power conferred by this Act shall be paid compensation by the State Government for such loss, damage or diminution of profits.

27. Assessment of value of compensation :-

- (1) The value of any property which the State Government is empowered to purchase at such value under this Act or the compensation to be paid by the State Government in respect of anything done under this Act; shall where any dispute arises in respect of such value or compensation be ascertained in the manner provided in section 3, 5, 8, to 34, 45, 46, 47, 51 and 52 of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894). So far as they can be made applicable ;

Provided that, when making an enquiry under the Land Acquisition Act, the Collector shall be assisted by two assessors, one of who shall be a competent person nominated by the State Government within such time as may be fixed and one person nominated by the owner, or in case the owner fails to nominate an assessor within such time as may be fixed by the Collector in this behalf, by the Collector.

- (2) The value of an antiquity which the State Government is empowered to acquire at such value under this Act, or the compensation to be paid by the State Government in respect of any thing done under this Act, where any dispute arise in respect of such value, the Collector shall be assisted by two assessors, one of whom shall be a competent person nominated by the owner, or by himself in case the owner fails to nominate an assessor within such time as may be fixed by the Collector in this behalf.
- (3) Notwithstanding anything in sub-section (1) or in the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894), in determining the market value of any antiquity in respect of which an order for compulsory acquisition is made under sub - section (3) of section 22 or under sub-section (1) of section 25, any increase in the value of the antiquity by reason of its being of historical or archaeological importance shall not be taken into consideration.

MISCELLANEOUS

28. Delegation of powers :-

The State Government may, by notification in the Official Gazetteer, direct that any powers conferred on it by or under this Act shall, subject to such conditions as may be specified in the direction be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the directions.

29. License for dealing in antiquities :-

No person shall deal in antiquities except under a license granted by the State Government.

30. Bar to sell, etc. of antiquities :-

Subject of provision of section 5 and 8 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) no person shall without the permission of the State Government, sell, remove or make gift of any antiquity or art treasure or otherwise transfer its ownership.

31. Authority to make enquiry and take photograph of antiquity :-

An archaeological Officer, authorized by the State Government in this behalf may enquire into and take photograph of any antiquity in possession or custody of any person or religious institution or private museum.

32. Declaration as to any antiquity:-

- (1) whosoever owns or is in possession, custody or control of any antiquity, on the date of the coming into force of this Act shall, within the period of sixty days from the commencement of this Act make a declaration to that effect to the Director, or to such authority and in such form as may be prescribed.
- (2) Whosoever owns or comes in possession, custody or control of any antiquity after the coming into force of this Act, shall, within the period of fifteen days of owing or coming into possession custody or control of such antiquity make a declaration to that effect to the Director, or to such authority and in such form as may be prescribed.

Provided that the above provisions shall not apply to the officers of the Archaeological Survey of India.

33. Report regarding loss of antiquity:-

Whosoever owns or is in possession, custody or control of any antiquity shall in the event of its loss or destruction give intimation within seven days of the loss or destruction thereof to such authority and in such form as may be prescribed.

34. Powers of entry, search, seizure, etc :-

- (1) Any person being an officer of Government, authorized on its behalf by the State Government, may with a view to securing compliance with the provisions of this Act or to satisfying himself that provisions of this Act have been complied with :-

- (I) enter and search any place:
- (II) seize any antiquity or art treasure in respect of which he suspects that any provision of this Act has been, is being, or is about to be contravened and thereafter take all measures necessary for securing the production of the antiquity or art treasure so seized in a Court and for its safe custody, pending such production.

- (2) The Provision of section 100 (1), 100 (3), 100 (4) and 100 (5) of the code of the Criminal Procedure, 1973 relating to search and seizure shall, so far as may be applied to searches and seizures under this section.

35. Powers to determine whether or not an article, etc. is antiquity or art treasure :-

If any question arises whether any article, object or thing or manuscript, record or other document is or in not an antiquity or is or is not an art treasure for the purposes of this Act, it shall be referred to the Director, Archaeology

and Museums Jharkhand to an officer authorized by him and the decision of the Director or such officer, as the case may be, on such question shall be final.

36. Penalties :-

(1) Whosoever:-

- (I) destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils or misuses a protected monument, or
- (II) being the owner or occupier of a protected monument contravene an order made under sub- section (1) of section 8 or under sub -section (1) of section 9, or
- (III) removes from a protected monument any sculpture , carving, image, bas relief, inscript or any other like object, or
- (IV) does not act in contravention of sub- section (1) of section 18.
- (V) fails to make the declaration as required under section 32, or
- (VI) fails to give intimation as required under section 33, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(2) Whosoever-

- (i) deals in antiquity without license granted by the State Government, or
- (ii) sells, removes or makes gift of any antiquity or art treasure or otherwise transfers its ownership, without the permission of the State Government, or
- (iii) Commits theft of any antiquity from any temple, archaeological site, private museum or any place of religious importance, shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

(3) Any person who moves any antiquity in contravention of a notification issued under sub-section (1) of section 24 shall be punishable with fine which may extend to twenty five thousand rupees, and the court convicting a person of any such contravention may, by order, direct such person to restore the antiquity to the place from where it has been removed.

37. Jurisdiction to try offences :-

No court inferior to that of a magistrate of the second class shall try any offence under this Act.

38. Certain Offences to be cognizable :-

Notwithstanding anything contained in the code of Criminal Procedure 1973, an offence under clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) and clause (iii) of sub-section 2 of section 36 shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of that code.

39. Special Provision regarding fine :-

Notwithstanding anything in section 29 of the Code of Criminal Procedure 1973, it shall be lawful for any magistrate of the first class specially empowered by the State Government in this behalf to pass a sentence of fine exceeding two thousand rupees on any person convicted to an offence which under this Act is punishable with fine exceeding two thousand rupees.

40. Recovery of amount due to State Government :-

Any amount due for the State Government from any person under this Act on a certificate issued by the Director or an archaeological officer authorized by him in this behalf be recovered in the same manner as an arrear of land revenue.

41. Ancient monuments etc. no longer requiring protection :-

If the State Government are of opinion that it is no longer necessary to protect any ancient and historical monument or archaeological site and remains under the provisions of this Act it may, by notification in the Official Gazette, declare that the ancient and historical monument or archeological site and remains as the case may be has ceased to be protected monument or a protected area for the purpose of this Act.

42. Power to correct mistakes etc :-

Any clerical mistake, patent error or error arising from accidental slip or omission in description of any ancient monument or archaeological site and remains declared to be a protected monument or a protected area by or under this Act may, at any time, be corrected by the State Government by notification in the Official Gazette.

43. Protection of action taken under the Act :-

No suit for compensation and no criminal proceeding shall lie against any public servant in respect of any act done or in good faith intended to be done in the exercise of any power conferred by this Act.

44. Power to make rules :-

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

- (a) The prohibition or regulation by licensing or otherwise of mining, quarrying , excavating, blasting or any operation of a like nature near a protected monument or the construction of building on land adjoining such monument and the removal of unauthorized building;
- (b) The grant of licenses and permissions to make excavations for archaeological purposes in protected areas, the authorities, by whom and the restrictions and conditions subject to which , such licenses may be granted, the training of securities from licenses and the fees that may be charged for such licenses;
- (c) The right of access of the public to a protected monument and the fee, if be charged thereof;
- (d) The form and contents of the report of an archaeological officer or a licenses under clause (a) of sub -section (1) of section 22;
- (e) The form in which application for permission under section 18 or section 24 may be made and the particulars which they should contain;
- (f) The form and manner of preferring appeals under this Act and the time within which they may be preferred;
- (g) The manner of service of any order or notice under this Act;
- (h) The manner in which excavations and other like operations for archaeological purposes may be carried on;
- (i) Any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Any Rule made under this section may provide that a breach thereof shall be punishable :-

(i) in the case of a rule made with reference to clause (a) of sub-section (2), with imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both;

(ii) in the case or rule made with reference to clause (b) of sub-section (2), with fine which may extend to twenty five thousand rupees

(iii) in the case of a rule made with reference to clause (c) of sub-section (2), with fine which may extend to twenty five thousand rupees.

(4) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before House of the State legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following the House agree in making any modification in the rule or the House agree that the rule should not be made the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

45. Act not applicable to certain ancient monuments or archaeological site and remain or antiquities -

- (a) To ancient monuments or archaeological sites and remains which have been or may hereafter be declared by or under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (XXIV of 1958) or by or under any other law made by parliament to be national importance;
or
- (b) To antiquities to which the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Site and Remains Act, 1958 (XXIV of 1958), apply for the time being ; or
- (c) To ancient monuments or archaeological sites and remains or antiquities to which the provisions of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904) apply for the time being.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
